

**अनुसूची-दो**  
(नियम 6 देखिये)

**भर्ती का तरीका**

(क) श्रम

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कुल पद	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग))
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क))	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रम विभाग	श्रमायुक्त	1	-	-	भारतीय प्रशासनिक सेवा
	अपर श्रमायुक्त	1	-	100%	-
	उप श्रमायुक्त	3	-	100%	-
	सहायक श्रमायुक्त	7	-	100%	-
	श्रम पदाधिकारी	23	33% (लोक सेवा आयोग द्वारा)	67%	-

(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

संचालक	1	-	100%	-
उप संचालक	8	-	100%	-
सहायक संचालक	18	100% (लोक सेवा आयोग द्वारा)	-	-
सहायक संचालक (चिकित्सा)	1	100% (लोक सेवा आयोग द्वारा)	-	-